पुनर्स्थापित न्याय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1588/2018

राहुल खन्ना ..... याचिकाकर्ता/वादी

बनाम

S.C. माथुर औरअन्य। प्रतिवादी

साथ में,

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2103/2018

S.C. माथुर ..... याचिकाकर्ता

बनाम

राहुल खन्ना और अन्य। प्रतिवादी

साथ में,

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3396/2018

राजू और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

राहुल खन्ना और अन्य। प्रतिवादी

..

श्री शोभित सहारिया, याचिकाकर्ता राहुल खन्ना/डिक्री धारक

श्री भुपेश कांडपाल वकील, प्रतिवादी नं.1 S.C. . माथुर/निर्णय देनदार

श्री सुधीर कुमार, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 राजू और अन्य/निर्णय देनदार के लिए

निर्णय

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

चूंकि, इन सभी रिट याचिकाओं में, एक सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, इसलिए, संक्षिप्तता के लिए, इन याचिकाओं का निपटारा इसी और सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. वर्तमान डब्ल्यू. पी. एम. एस.1588/2018 के माध्यम से, याचिकाकर्ता/मूल अभियोक्ता ने सिविल संशोधन 80/2017 माथुर और अन्य बनाम राहुल खन्ना और अन्य में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तृतीय, देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 15.05.2018 को रद्द करने की मांग की है।अन्य दो रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ता दिनांकित 15.05.2018 के फैसले और आदेश के हिस्से से व्यथित हैं, जिसके तहत पुनरीक्षण अदालत ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए निष्पादन अदालत को वापस भेज दिया है।

3. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि याचिकाकर्ता/वादी ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), देहरादून की अदालत में कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम द्वारा 1995 का मूल वाद 200/1995 डॉ. डॉ. राहुल खन्ना v/s सुखराम (मृत) के रूप में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें बेदखल करने और सम्पति के हिसेस्द्वार के रूप में उल्लिखित सम्पति 4, ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून, जिसके ऊपर एक कमरे और संयुक्त शौचालय का निर्माण किया गया है पर कब्जे की वसूली का आदेश मांगा गया, श्री सुखराम (पूर्ववर्ती, प्रोफार्मा उत्तरदाताओं के हित में) के विरुद्ध, यह कहते हुए कि प्रतिवादी मुकदमे की सम्पति का एक लाइसेंसधारी है जिसे 18.06.1995 दिनांकित एक पंजीकृत नोटिस द्वारा रद्द कर दिया गया था, जो उसे विधिवत 20.06.1995 पर दिया गया था।मुकदमा के आधार (at the foot of) पर, अभियोक्ता ने मुकदमा सम्पति का विवरण निम्नानुसार दिया हैः

"सम्पति नं 4, ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून का एक हिस्सा जिसमें मात्र एक कमरा और एक संयुक्त शौचालय है जिसे हरे रंग के अक्षर ए, ई, एफ, डी से चिह्नित किया गया है।"

4. मुकदमा के साथ, अभियोक्ता ने मुकदमा सम्पति का नक्शा भी संलग्न किया है, जिसमें निम्नानुसार निर्देश दिखाए गए हैंः

उत्तर--जनकल्याण अस्पताल की सम्पति दक्षिण-बंगाली पुस्तकालय मार्ग/पुराना सर्वेक्षण मार्ग पूर्व-आहूजा की सम्पति

पश्चिम -पूर्व नहर मार्ग(east canal road)

5. मुकदमा के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी सं 2/निर्णय देनदार सुखराम ने प्रतिवादी सं. 1/निर्णय देनदार के साथ दिनांकित 17.02.2006 को समझौते के माध्यम से बिक्री का समझौता किया । उक्त सम्पति का विवरण इस प्रकार हैः

सम्पति नं.4, ओल्ड सर्वे रोड, का एक भाग जिसमें चार स्थायी टिन शेड, एक स्थायी टिन शेड स्टोर, एक स्थायी टिन शेड आंगन, एक स्थायी टिन शेड बरामदा, एक संयुक्त शौचालय, एक अस्थायी कमरा और दो पेड़ हैं जो नीचे दिए गए अनुसार बंधे हुए हैंः

उत्तर में- जनकल्याण अस्पताल की सम्पति दक्षिण में -बंगाली पुस्तकालय मार्ग पूर्व में -श्री आहूजा की सम्पति पश्चिम में E.C.सड़क

6. निचली विचारण न्यायालय ने 08.10.2010 के फैसले और आदेश के माध्यम से अभियोक्ता के मुकदमे को खारिज कर दिया । मुकदमा खारिज होने पश्चात प्रतिवादी नं01 सुखराम ने प्रश्न सम्पति को दिनांक 13.10.2010 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से श्री S.C माथुर को बेच दिया। ने । दिनांकित 08.10.2010 के निर्णय और डिक्री से व्यथित महसूस करते हुए, अभियोक्ता राहुल खन्ना द्वारा दीवानी याचिका सं 72/2010 दायर किया गया था, जिसमें श्री S.C. माथुर को पार्टी प्रतिवादी के रूप में रखा गया था।सिविल अपील के विचाराधीनता रहने के दौरान, प्रतिवादी सं 1 की मृत्यु हो गई जिसके बाद अपील में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया। 8वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के माध्यम से, अपीलार्थी/वादी की अपील को अनुमति दी गई, जिससे प्रतिवादी को दो महीने के भीतर अपीलार्थी/वादी को विचाराधीन सम्पति को खाली करने और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया और अग्रेतर कोई निर्माण नहीं प्रश्नया गया। व्यथित महसूस करते हुए, इस न्यायालय के समक्ष दो second अपील दायर की गईं। एक स्वर्गीय सुखराम के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा S.A. No.54/2015 और दूसरा S.C. माथुर द्वारा S.A. No.57/2015 है।इस न्यायालय ने 09.08.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से दोनों दूसरी अपीलों को खारिज कर दिया।इसके अग्रेतर व्यथित महसूस करते हुए स्वर्गीय सुखराम के कानूनी उत्तराधिकारी शांति देवी और एक अन्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस. एल. पी. याचिका दायर की, जिसे फैसले और आदेश दिनांक 19.09.2016 के माध्यम से खारिज कर दिया गया।सिविल अपील में

निर्णय के पश्चात याचिकाकर्ता/वादी ने निष्पादन मामला सं0 34/2015 दायर किया, जिसकी कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष दूसरी अपीलों के विचाराधीनता होने के कारण निलंबित रही।चूंकि याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में पारित डिक्री ने सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिमता प्राप्त कर ली है, इसलिए निष्पादन अदालत ने निष्पादन मामले सं. 34/2015 में कार्यवाही की । श्री सुखराम और श्री माथुर के कानूनी प्रतिनिधियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित किया जाएगा) से अपनी अलग-अलग आपत्तियां दायर, जिन्हें misc. केस नं. 416/2013 और केस नं. 229/2016 के रूप में दर्ज किया गया था। सी. पी. सी. की धारा 47 के तहत प्रस्तुत कीं आपत्तियों के माध्यम से, प्रतिवादी नं 1 ने अभिनिर्धारित किया कि डिक्री में उल्लिखित सम्पति का विवरण गलत है और शिकायत और निष्पादन मामले संख्या 34/2015 में उल्लिखित सम्पति और संलग्न किया गया नक्शा गलत और स्थान के विरुद्ध है।यह कहा गया है कि मुकदमा सम्पति के आयाम का उल्लेख व।द में नहीं किया गया है और मुकदमा सम्पति मानचित्र के आधार पर पहचान योग्य नहीं है।निष्पादन मामले केविचाराधीन रहने के दौरान, एक आवेदन पत्र सं35-सी2 निर्णय देनदार श्री माथुर द्वारा दायर किया गया था जिससे अमीन रिपोर्ट पर सबूत देने के लिए सिविल कोर्ट अमीन को तलब करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 04.03.2017 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था , जिसके खिलाफ WPMS No.553/2017 की रिट याचिका इस अदालत के समक्ष दायर की गई थी, जिसे दिनांक 10.03.2017 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।रिट याचिका को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि "यह स्पष्ट है कि मुकदमे को लंबा करने के लिए निर्णय देनदार द्वारा पूरी कवायद की गई है। पीठ ने कहा, "यह उल्लेखनीय होगा कि के आदेश दिनांक 10.03.2017 को प्रतिवादियों द्वारा किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है और यह अभी भी स्वर्ण धारण करता है।

7. दिनांक 12.04.2017 के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, सिविल संशोधन No.8/2017 और सिविल संशोधन संख्या 81/2017 तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष दायर किए गए थे, एक श्री S.C माथुर द्वारा और दूसरा स्वर्गीय श्री सुखराम के कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती शांति देवी और अन्य द्वारा ।पुनरीक्षण अदालत ने, विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 15/05/2018 द्वारा पुनरीक्षण को अनुमति दी और दिनांक 12/04/2017 के आदेश को अपास्त दिया, मामले को, मान कौर (मृत) बनाम हरतर सिंह संघ (2010) 10 एस. सी. सी. 512 में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित सम्पति की पहचान के संबंध में मुद्दे तैयार करने और पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नये सिरे से आदेश पारित करने के लिए निष्पादन अदालत को भेज दिया गया।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पूरे अभिलेख का अध्ययन किया है।

9. मुकदमा के अवलोकन से पता चलता है कि मुकदमाी/याचिकाकर्ता ने मुकदमा के अंत में विशेष रूप से मुकदमा सम्पति का विवरण दिया है, जिससे निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः

"सम्पति का एक हिस्सा नं 4 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून, जहां मात्र एक कमरा और संयुक्त शौचालय है जिसे हरे रंग के साथ ए, ई, एफ, जी शब्द से चिह्नित किया गया है।

शिकायत के साथ संलग्न चित्र मानचित्र में यह भी दर्शाया गया है कि उत्तर में जन कल्याण अस्पताल है, दक्षिण में बंगाली लाइब्रेरी रोड/ओल्ड सर्वे रोड है, पूर्व में आहूजा की सम्पति है और पश्चिम में ईस्ट कैनाल रोड है।मुकदमा सम्पति की सीमाओं के साथ-साथ आयाम का उल्लेख मुकदमा के साथ संलग्न मानचित्र में किया गया है।

10. अभिलेख से अग्रेतर पता चलता है प्रश्न विचाराधीन सम्पति मूल प्रतिवादी स्वर्गीय श्री सुखराम द्वारा प्रतिवादी S C माथुर को बेची गई थी ने दिनांप्रश्नत 13.10.2010 पंजीकृत बिक्री विलेख देखा।बिक्री विलेख के साथ, 4 ओल्ड सर्वे रोड (E.C) का एक लेआउट सड़क) को संलग्न किया जाता है, जिसका अवलोकन उसी सीमा को दिखाएगा जैसा कि शिकायत में उल्लेख किया गया है।

11. मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान, सिविल कोर्ट अमीन को मुकदमा किया गया था जो अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.07.1995 प्रस्तुत करता है।निष्पादन के दौरान भी, दीवानी अदालत अमीन को नियुक्त किया गया था जिसने मानचित्र के साथ अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.10.2003 प्रस्तुत की थी। इस बीच, प्रतिवादी/निर्णय देनदार S.C. माथुर ने आवेदन पत्र सं.35सी2 सिविल कोर्ट अमीन को समन करने के लिए, जिसे अदालत ने दिनांक 04.09.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।व्यथित महसूस करते हुए, निर्णय देनदार S.C. माथुर ने रिट याचिका को प्राथमिकता दी, जिसे दिनांकित 10.03.2017 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था और अंत में निर्णय देनदार द्वारा दायर आपत्तियां जो 229/2016 के रूप में पंजीकृत थीं under मामला नं.सी. पी. सी. की खंड 47 के, को एक विस्तृत निर्णय और दिनांक 12/04/2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।आपत्तियों को खारिज करते हुए, निष्पादन न्यायालय ने विशेष रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि मुकदमा सम्पति की पहचान के संबंध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि मुकदमा सम्पति का उल्लेख सम्पति संख्या के हिस्से के रूप 4, ओल्ड सर्वे रोड में किया गया है और निर्णय देनदार ने कोई सबूत दायर नहीं किया है कि मुकदमा सम्पति की पहचान नहीं की जा सकती है।

12. इस मोड़ पर, C.P.C के आदेश VII नियम 3 पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। जिसे नीचे निकाला गया हैः

"3. जहाँ मुकदमा का विषय अचल सम्पति हो।जहां मुकदमा की विषय वस्तु अचल सम्पति है, शिकायत में उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त सम्पति का विवरण होगा, और यदि ऐसी सम्पति को निपटान या सर्वेक्षण के अभिलेख में सीमाओं या संख्याओं द्वारा पहचाना जा सकता है, तो शिकायत ऐसी सीमाओं या संख्याओं को निर्दिष्ट करती है।

13. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पति का विवरण इसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और यदि सम्पति निपटान या सर्वेक्षण के अभिलेख में सीमाओं या संख्याओं द्वारा पहचानी जा सकती है, तो वादी को ऐसी सीमाएं या संख्या निर्दिष्ट करनी चाहिए। इस मामले में, अभियोक्ता द्वारा मुकदमा सम्पति का वर्णन न मात्र सीमाओं द्वारा किया गया है, बल्कि भूखंड संख्या द्वारा भी किया गया है, और मुकदमा मानचित्र में इसका विवरण दिया गया है। इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह कहा जा सकता है कि मुकदमा सम्पति पहचान योग्य नहीं है।

14. मामले के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जरीफ अहमद (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और एक अन्य बनाम मोहम्मद फारूक (2015) 13 एस. सी. सी. 673 के माध्यम से, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"8. प्रतिमुकदमाियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि मुकदमे में सम्पति पहचान योग्य नहीं थी, और पहली अपील न्यायालय ने मुकदमे को खारिज करने में कानून की कोई त्रुटि नहीं की।

हालाँकि, शिकायत के अवलोकन पर (संलग्नक पी-1 प्रतिलिपि), हम पाते हैं कि शिकायत के अंत में, अभियोक्ता ने न मात्र भूखंड की सीमाएँ दी हैं, बल्कि भूखंड की नगर पंचायत (नगर क्षेत्र/नगर) संख्या का भी उल्लेख किया है।शिकायत के आधार पर यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन घर मोहल्ला-सदकपुर, टाउन बेहत नगर पंचायत, तहसील खास, जिला सहारनपुर में स्थित है और शिकायत मानचित्र में इसे का, खा, गा, घा, चा, छा अक्षरों द्वारा दिखाया गया है। हमारी मत में, प्रतिमुकदमाियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बहुत कम बल है कि मुकदमा में भूमि पहचान योग्य नहीं है।यदि विचाराधीन भूमि गैर-पहचान योग्य होती, तो अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवादियों द्वारा भरोसा प्रश्नए जाने पर रिपोर्ट नहीं दी होती (संलग्नक पी-2 की प्रति) विचाराधीन भूमि के निरीक्षण के पश्चात।

9. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है प्रश्न वाद में विचाराधीन भूमि की लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है।इस प्रकार, निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अपास्त किया जा सकता था क्योंकि डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

10. हमने प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण करने पर विचार किया है, लेकिन हम इस कारण से इससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि यदि यह अभियोक्ता को भूमि के कब्जे की बहाली या प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए निर्माण को ध्वस्त करने की आवश्यकता वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा का मामला होता, तो प्रतिवादियों ने हमारे सामने जो अनुरोध किया है, उसे स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान मुकदमा उस भूमि के संबंध में स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा की राहत के लिए है जिसे सीमाओं और इसकी नगरपालिका संख्या के साथ वर्णित किया गया है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अप्रवर्तनीय है।

11. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) का आदेश 7 नियम 3, जो अचल सम्पति के विवरण की आवश्यकता से संबंधित है, निम्नानुसार हैः

"3. जहाँ मुकदमा का विषय अचल सम्पति हो।-जहां मुकदमे की विषय वस्तु अचल संपत्ति है - जहां मुकदमे की विषय वस्तु अचल संपत्ति है, वादपत्र में संपत्ति का इतना विवरण होगा कि उसकी पहचान की जा सके, और, यदि ऐसी संपत्ति की पहचान सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है निपटान या सर्वेक्षण के रिकॉर्ड में, मैदान ऐसी सीमाओं या संख्याओं को निर्दिष्ट करेगा

उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य यह है कि सम्पति का विवरण उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।सम्पति को सीमाओं द्वारा या निपटान या सर्वेक्षण के सार्वजनिक अभिलेख में संख्या द्वारा पहचाना जा सकता है।यहां तक कि विवादित अचल सम्पति का स्थान दिखाने वाले वादी मानचित्र द्वारा भी इसका वर्णन किया जा सकता है।चूंकि वर्तमान मामले में, मुकदमा सम्पति का वर्णन अभियोक्ता द्वारा मुकदमा में न मात्र सीमाओं द्वारा बल्कि नगरपालिका संख्या द्वारा भी किया गया है, और मुकदमा मानचित्र में इसका विवरण देकर, किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्या यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में मुकदमा सम्पति की पहचान नहीं की जा सकती थी।

12. हमारी मत में, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि पहली अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके कि भूमि पहचान योग्य नहीं है मुकदमे को खारिज करने में कानूनी रूप से गलती की है ।ऐसा प्रतीत होता है कि पहली अपील न्यायालय ने अतिरिक्त मुद्दे को गलत तरीके से तैयार किया है कि क्या विवादग्रस्त सम्पति पहचान योग्य है या नहीं, विशेष रूप से जब लिखित बयान में ऐसी कोई याचिका नहीं थी। हम उच्च विचारण न्यायालय से सहमत हैं कि पहली अपील न्यायालय की ओर से मामले को निचली अदालत को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि उसके (उच्च विचारण न्यायालय) समक्ष प्रतिवादियों द्वारा पक्षकारों को अतिरिक्त मुद्दे पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए तर्क दिया गया था, क्योंकि न तो भूमि की पहचान पर मुद्दा अभिवचनों से उत्पन्न होता है और न ही अभिलेख पर सबूत की कमी थी।"

15. जहां तक पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश का संबंध है, पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण का निर्णय लेते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों को संदर्भित किया हैः

i) भान वाजा और अन्य बनाम सोलंकी हनुजी खोडाजी मनसंग और एक अन्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1371, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निष्पादन अदालत डिक्री के बाद नहीं जा सकती है, लेकिन यह निष्पादन अदालत का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि डिक्री धारक के पक्ष में दी गई डिक्री को उसके सही अर्थों में निष्पादित किया जा सकता है या नहीं।

ii) हयात सिंह बनाम श्रीमती राम आर्य (2018) 1 यू. ए. डी. 743, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 3 सी. पी. सी. में निहित प्रावधानों के अनुसार, एक सम्पति की पहचान मात्र दो तरीकों से की जा सकती है, एक उसकी भूखंड संख्या, खसरा संख्या और दूसरा उसकी सीमाओं द्वारा।

iii) Mustt. कटाजन बीबी और अन्य बनाम रामला दुर्गादुट्टा 1984 0 ए. आई. आर. (Gau.) 44, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सम्पति की पहचान उसकी सीमाओं से की जा सकती है, लेकिन यदि सीमाओं में परिवर्तन होता है तो डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

iv) सारस्वत व्यापार एजेंसी मेसर्स बनाम भारत संघ (कलकत्ता) 2004 ए. आई. आर. (कलकत्ता) 267, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां डिक्री पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि डिक्री अप्रवर्तनीय (inexecutable) है, तो सी. पी. सी. की धारा 47 के तहत आपत्तियां निष्पादन अदालत के समक्ष दायर की जा सकती हैं।

v) चरणपाई रियांग की उत्तराधिकारी श्रीमती समबती हांग और अन्य बनाम श्री दीनबंधु दास और अन्य ए. आई. आर. 1964 त्रिपुरा 36, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुकदमा में मुकदमा सम्पति के स्पष्ट विवरण का उल्लेख करना अभियोक्ता का कर्तव्य है।यदि मुकदमे में उल्लिखित सम्पति के विवरण की पहचान सही नहीं है, तो ऐसे मामले में अदालत द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

vi) A.V. पपीया शास्त्री और अन्य बनाम Govt.of A.P। और अन्य (2007) 4 एस. सी. सी. 221, जिसमें यह कहा गया है कि यदि धोखाधड़ी करके कोई डिक्री प्राप्त की गई है, तो उसे किसी भी समय अपील, पुनरीक्षण या रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

vii) स्वामी देवानंद भारत भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट और अन्य बनाम निर्धारित प्राधिकारी/उप-मंडल मजिस्ट्रेट और अन्य 2017 (3) यू. ए. डी. 580, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धोखाधड़ी हर चीज को दूषित करती है।

viii) मान कौर (मृत) बनाम।हरतर सिंह संघ (2010) एस. सी. सी. (सिविल) 239

16. उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।यह निर्णय देनदारों/उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि डिक्री धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई है।प्रति मुकदमाियों/निर्णय देनदारों ने मुकदमे की कार्यवाही के दौरान यह आपत्ति नहीं उठाई है कि मुकदमे की सम्पति को उसकी भूखंड संख्या या सीमाओं से नहीं पहचाना जा सकता है। विचारण या अपील के दौरान प्रतिमुकदमाियों/निर्णय देनदारों द्वारा विचारण की सम्पति की पहचान के मुद्दे को कभी भी उत्तेजित नहीं किया गया था।मात्र निष्पादन कार्यवाहियों में ही पहली बार प्रतिवादियों द्वारा सी. पी. सी. की धारा 47 से आपत्तियां दायर करके यह आपत्ति उठाई गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला हारने के पश्चात निष्पादन कार्यवाहियों को बढ़ाने के प्रतिवादियों के बुरे इरादे को दर्शाता है। इस संबंध में, इस न्यायालय ने दिनांक 04/03/2017 के आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि "यह स्पष्ट है कि मुकदमे को बढ़ाने के लिए निर्णय देनदार द्वारा पूरी कवायद की गई है।निष्पादन याचिका पर आपत्तियां पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

17. पुनरीक्षण न्यायालय ने वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का भी उल्लेख और चर्चा की है, जो इस प्रकार हैंः

i) मेजर S.S. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर F.J. डिलन की सिविल अपील सं 320 / 1993 , ए. आई. आर. (1964) एस. सी. 497 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 115 में निहित प्रावधानों के बाद नहीं जा सकता है।

(ii) माणिक चंद्र नंदी बनाम देबदास नंदी और अन्य सिविल अपील अन्य 10449 /1983 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनरीक्षण विचारण न्यायालय, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, अभिलेख के साक्ष्य का पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है और अपने निष्कर्ष को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों के साथ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

iii) भाईचंद रतनशी बनाम लक्ष्मीशंकर त्रिभुवन दीवानी याचिका सं 1006 /1971, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है, जहां मात्र यह विचार किया जा सकता है कि क्या आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ है?

18. उपरोक्त के अलावा, पुनरीक्षण अदालत ने मामले को निष्पादन अदालत को भेजने के दौरान, मान कौर (मृत) बनाम हरतर सिंह संघ (2010) 10 एस. सी. सी. 512 के मामले में भारी जोर दिया है और अदालत को उक्त फैसले में निर्धारित कानून के मद्देनजर घोषित सम्पति की पहचान का मुद्दा तैयार करने का निर्देश दिया है।पुनरीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय के अनुच्छेद-18 पर भरोसा किया है। मान कौर (उपरोक्त) के फैसले को बहुत सावधानी द्वारा देखने पश्चात मैं यह नहीं समझ सकता कि पुनरीक्षण अदालत ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उक्त फैसले के अनुपात को कैसे लागू किया।इसमें मुद्दा एक अनुबंध के एक विशिष्ट प्रदर्शन से करने की तैयारी और इच्छा के संबंध में था। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।इस न्यायालय का विचार है कि मान कौर (उपरोक्त) का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय को यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने मान कौर (उपरोक्त) के आलोक में मामले का निर्णय लेने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है।

पुनरीक्षण अदालत ने बिना किसी वैध और उचित कारण के मान कौर (उपरोक्त) के फैसले पर अवलम्ब किया है। वाद के अवलोकन से, उसमें संलग्न मानचित्र, प्रतिवादी सं. 1 श्री S.C माथुर के पक्ष में सुखराम द्वारा निष्पादित दिनांकित 13.10.2010 बिक्री विलेख साथ-साथ दिनांकित 18.07.1995 और 28.10.2003 की अमीन रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि सम्पति अपनी भूखंड संख्या और सीमाओं से बहुत अच्छी तरह से पहचानी जा सकती है। इन सभी दस्तावेजों में सम्पति का विवरण सीमाएँ और प्लॉट संख्या समान है। पुनरीक्षण अदालत गलत निष्कर्ष पर पहुंची है कि दीवानी अदालत अमीन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट वाद मानचित्र से अलग है; निर्णय देनदार सुखराम के पास सम्पति संख्या के एक हिस्से 4, ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून पर 1948 से कब्जा है; और यह कि नकली और अस्पष्ट डिक्री के आधार पर, कब्जा डिक्री धारक को नहीं दिया जा सकता है।पुनरीक्षण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी सं1 द्वारा उसी उद्देश्य के लिए दायर आवेदन को निचली विचारण न्यायालय ने दिनांक 12/4/2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था और इस विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश की पुष्टि की गई थी।

19. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का विचार है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के सुविचारित आदेश को रद्द करने में अवैधता की है।यह स्थिति होने के नाते, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.02.2015 द्वारा पारित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने के अपास्त उत्तरदायी है।

20. इस स्तर पर, मैं यह देखने से खुद को रोक नहीं सका कि वर्तमान मुकदमा वर्ष 1995 में दायर किया गया था।निचली विचारण न्यायालय से मुकदमा हारने पश्चात डिक्री धारक ने कानून की हर विचारण न्यायालय से मामला जीता, यहां तक कि शीर्ष विचारण न्यायालय तक, जिसके लिए उसने 21 साल से अधिक समय तक इंतजार किया। यह बहुत ही कष्टप्रद है कि जब डिक्री धारक के लिए सफलता के फल का आनंद लेने का समय आया, तो वह फिर से निर्णय देनदारों के हाथों इससे वंचित हो रहा है, जो सभी संभावित आपत्तियों द्वारा डिक्री को विफल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।निष्पादन, एक मुकदमे का अंतिम चरण है, जिसके तहत किसी निर्णय द्वारा बरामद किसी भी चीज़/राशि का कब्जा/वसूली प्राप्त का मुकदमा है।इसे अंतिम प्रक्रिया के रूप में शैलीबद्ध किया गया है।लेकिन, यहां निष्पादन कार्यवाही शुरू होने से निर्णय देनदारों द्वारा मुकदमा सम्पति की पहचान के संबंध में आपत्ति उठाकर नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, केवल डिक्री को विफल करने के लिए।निचली अदालत द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के पश्चात डिक्री धारक को मुकदमेबाजी में अनावश्यक रूप से घसीटा गया है।

21. फरमानों/पुरस्कारों के निष्पादन में देरी और कठिनाइयाँ न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करती हैं।निष्पादन क्षेत्राधिकार विशेष ध्यान देने और शीघ्र निपटारे का हकदार है क्योंकि डिक्री-धारक पहले ही मुकदमे में सफल हो चुके हैं और अपने पक्ष में एक डिक्री/पुरस्कार रखते हैं।

22. सत्यवती बनाम राजिंदर सिंह और एक अन्य (2013) 9 एस. सी. सी. 49 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कि डिक्री धारकों को उनके द्वारा प्राप्त डिक्री का लाभ शीघ्रता से प्राप्त करना चाहिए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"12. यह जानना वास्तव में कष्टप्रद है कि अपीलकर्ता डिक्री-धारक आज भी अपनी सफलता का लाभ उठाने में असमर्थ है i.e. 2013 में। हालाँकि अपीलकर्ता-वादी अंततः जनवरी 1996 में सफल हो गया था।जैसा कि ऊपर कहा गया है, महाप्रबंधक राज दुर्भुंगा बनाम कुमार रामपुत सिंग में प्रिवी काउंसिल ने देखा था कि भारत में एक वादकारी की कठिनाइयाँ तब शुरू होती हैं जब वह एक डिक्री प्राप्त करता है।यहां तक कि 1925 में भी, कुएर जंग बहादुर बनाम बैंक ऑफ अपर इंडिया लिमिटेड [ए. आई. आर. 1925 अवध 448 (पी. सी.)] में प्रिवी काउंसिल के विवादित फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय को यह अवलोकन करने के लिए विवश किया गया था किः (आकाशवाणी पृष्ठ 448) -

भारत में न्यायालयों को यह देखने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि निर्णय-ऋणदाताओं द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया और प्रक्रिया के कानून का इस तरह से दुरुपयोग न किया जाए कि वे उन लेनदारों को धोखा देने में अदालतों को सहायक बना सकें, जिन्होंने अपने अधिकारों के अनुसार फरमान प्राप्त किए हैं।"2.

13. 1925 में किए गए अवलोकन के बावजूद, इस न्यायालय को फिर से बाबू लाल बनाम हजारी लाल किशोरी लाल [(1982) 1 एस. सी. सी. 525] में पैरा 29 में यह अवलोकन करने के लिए विवश किया गया था किः(एस. सी. सी. पृष्ठ 539)

"29. प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है न कि इसे धीमा करना। डिक्री धारक की कठिनाई उसके द्वारा प्राप्त डिक्री के अनुसरण में कब्जा प्राप्त करने में शुरू होती है।निर्णय-ऋणदाता सभी संभावित आपत्तियों द्वारा निष्पादन को विफल करने की कोशिश करता है।

14. यह न्यायालय, फिर से मार्शल संस एंड कंपनी (आई) लिमिटेड बनाम साही ओरेट्रांस (पी) लिमिटेड को उक्त निर्णय के पैरा 4 में यह अवलोकन करने के लिए विवश किया गया था कि (एस. सी. सी. पी. 326)

"4..... प्रथमदृष्टया हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के पक्ष में एक डिक्री किसी न किसी कारण से निष्पादित नहीं की जा रही है, हम इस स्तर पर प्रतिवादी को अपीलकर्ता को कब्जा देने का निर्देश देना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमा अभी भी लंबित है।यह सच है कि किसी न किसी कारण से कार्यवाही को लंबे समय तक खींचा जाता है और कभी-कभी यह अत्यधिक तकनीकी हो जाती है और इसके साथ ही हर स्तर पर अंतहीन विस्तार होता है जो अनजान लोगों को कानूनी जाल प्रदान करता है।विलम्ब के कारण, कार्यवाही के बेईमान पक्ष अनुचित लाभ उठाते हैं और एक व्यक्ति जो गलत कब्जे में है, वह प्रक्रियात्मक जटिलताओं का अनुचित लाभ उठाकर मामलों के निपटारे में विलम्ब से खुशी महसूस करता है।यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि अचल सम्पति के कब्जे के लिए एक डिक्री प्राप्त करने के पश्चात इसके निष्पादन में लंबा समय लगता है।

15. एक बार फिर शुभ करण बुबना बनाम सीता सरन बुबना में पैरा 27 में उनके न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 699)

"27. वर्तमान प्रणाली में, जब विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अभियोक्ता डिक्री का फल देखेगा।प्रिवी काउंसिल की कहावत है कि एक वादकारी की कठिनाइयाँ तब शुरू होती हैं जब वह एक डिक्री प्राप्त करता है।यह स्मरण आवश्यक है कि मुकदमा में सफलता का किसी पक्ष के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसे राहत नहीं मिलती। इसलिए, वास्तव में सार्थक और कुशल होने के लिए, संहिता की योजना को किसी पक्ष को न मात्र जल्दी से एक डिक्री प्राप्त करने में

सक्षम बनाना चाहिए, बल्कि जल्दी से राहत भी प्राप्त करनी चाहिए।इसके लिए दीवानी मुकदमेबाजी के संबंध में एक वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि न मात्र मुकदमों के निपटारे पर जोर दिया जाए, बल्कि वादकारी को राहत देने पर भी जोर दिया जाए।

16. जैसा कि हमने ऊपर कहा है, आज तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि डिक्री के निष्पादन में अनुचित विलम्ब नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि डिक्री धारक डिक्री को निष्पादित करके अपनी सफलता का लाभ उठाने में असमर्थ है, तो सफल वादकारी का पूरा प्रयास व्यर्थ होगा।"

23. इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 161 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

न्याय और सद्भावना के सिद्धान्त के अनुरूप न्यायाधीशाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वादियों द्वारा किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जाए।इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का एक तरीका यथार्थवादी लागतों को लागू करना है,...। अदालतों को दंडात्मक लागत लगाने में भी पूरी तरह से उचित होना चाहिए जहां कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है।

24. बुद्धि कोटा सुब्बाराव (डॉ.) बनाम के. परासरन, (1996) 5 एस. सी. सी. 530 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी वादकारी को तुच्छ याचिकाएं दायर करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।किसी भी वादकारी को अदालत के समय और सार्वजनिक धन पर असीमित सूखे का अधिकार नहीं है कि वह अपने मामलों को अपनी इच्छानुसार निपटारा कर सके। न्याय तक आसान पहुँच का उपयोग गलत और तुच्छ याचिकाएँ दायर करने के लिए लाइसेंस के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

25. उपरोक्त के आलोक में, तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित दिनांक 28.02.2015 का विवादित निर्णय और आदेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

रिट याचिका (एम/एस) सं 1588 /2018 की अनुमति है। नतीजतन, रिट याचिका (एम/एस) 2103/2018 और रिट याचिका (एम/एस) 3396/2018 खारिज की जाती है। हर बार डिक्री धारक को अनावश्यक रूप से अदालत में खींचने के लिए निर्णय देनदारों पर 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की एक अनुकरणीय लागत लगाई जाती है। इस प्रकार लगाई गई लागत का भुगतान निर्णय देनदारों द्वारा आज से दो महीने की अवधि के भीतर संयुक्त रूप से और अलग-अलग किया जाएगा। 1,00,000/- रुपये का भुगतान डिक्री धारक को किया जाएगा और 1,00,000/- रुपये की शेष राशि उत्तराखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा की जाएगी। लागत जमा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, निर्णय देनदारों से भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में उस की वसूली की जाएगी।

26. निष्पादन अदालत को निष्पादन मामले को आगे बढ़ाने और यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

27. रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वह विवादित निर्णय और दिनांकित 15.05.2018 के आदेश की प्रति निर्णय मूल्यांकन समिति के समक्ष अवलोकन के लिए रखे।इस निर्णय की एक प्रति संबंधित अधिकारी को भी भेजी जाए।

(लोक पाल सिंह, जज)

14.09.2020

रजनी